



PRGI APPLICATION
UNDER PROCESS

Application No.
T/GJ/2026/0619/2304/1577

GST
GSTIN
24CINPG0564Q1ZT

UDYAM REGISTERED

DIGITAL NEWS NETWORK

भारत का भरोसेमंद बहुभाषी डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क

11+ Languages | 24x7 Live | e-Paper Daily

हमारा App डाउनलोड करें

QR

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

www.alfaaztime.digital

info@alfaaztime.digital

+91 98700 06472

FOLLOW US: [f](#) [@](#) [v](#) [x](#) [w](#)

तेज़ | सटीक | निष्पक्ष | जनहित में | सच की आवाज़ | जन-जन की आवाज़ | निडर पत्रकारिता

DELHI

नीड 24 न्यूज़ · हर खबर, हर शहर

27 अक्टूबर 2026

बंगाली न्याय संहिता का हिट-एंड-रन अनुभाग अभी भी लागू नहीं हुआ



बंगाली न्याय संहिता, जिसे भारतीय सरकार ने 2024 में संसद द्वारा अनुमोदित किया, एक व्यापक अपराध कानून है। फिर भी, हिट-एंड-रन मामलों को अपराधी

स्थानीय

दिसंबर में दिल्ली की अदालत ने निर्णय दिया: सरकारी निकाय बिना निधि के भी दुर्घटना मुआवजा देने के लिए ज़िम्मेदार



दिसंबर में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय दिया कि सरकारी निकाय दुर्घटना मुआवजा देने के लिए ज़िम्मेदार हैं, भले ही दुर्घटना मुआवजा के लिए अनिवार्य रूप से रखे जाने वाले स्टैट्यूटरी फंड को बनाए नहीं रखा गया हो। इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि स्टैट्यूटरी फंड एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता है और यह सरकार को दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा देने से नहीं रोकता। न्यायालय ने ज़ोर दिया कि दुर्घटना मुआवजा योजना का मुख्य उद्देश्य पीड़ितों को राहत पहुँचाना है, और फंड को बनाए न रखने से इस उद्देश्य में बाधा नहीं आनी चाहिए।

यह निर्णय राज्य और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा दुर्घटना मुआवजा योजनाओं के प्रबंधन पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है। यह स्पष्ट करता है कि कानूनी ढांचा समय पर और पर्याप्त मुआवजा देने की माँग करता है, चाहे प्रशासनिक त्रुटियाँ हों। यह निर्णय सरकारी निकायों को स्टैट्यूटरी फंड की सही देखरेख करने के लिए प्रेरित करेगा।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय सरकारी निकायों के दुर्घटना मुआवजा कानूनों के अनुपालन पर बड़ी हुई जाँच का कारण बन सकता है। न्यायालय का यह दृष्टिकोण सार्वजनिक संस्थानों को नागरिकों के हित में कार्य करने के सिद्धांत को सुदृढ़ करता है, खासकर जब सुरक्षा और कल्याण की बात आती है।

इस निर्णय से दुर्घटना मुआवजा से संबंधित प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार की संभावना है, जिससे पीड़ितों को समय पर सहायता मिलेगी और प्रक्रियागत कमियों से बाधित नहीं होंगे।

अपराध

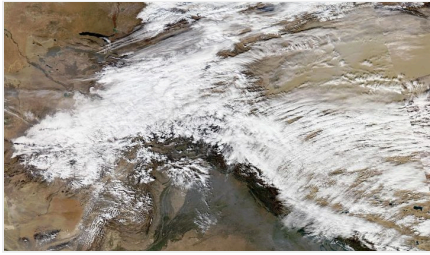
दिल्ली में सड़क हादसे में 56 वर्षीय व्यक्ति की मौत



दिल्ली में एक सड़क दुर्घटना में 56 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यह घटना शहर के किसी अनिर्दिष्ट स्थान पर हुई, और पीड़ित को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने घटना के सही कारण और घटनाओं की श्रृंखला का निर्धारण करने के लिए जांच शुरू की है। पीड़ित की पहचान और दुर्घटना की विशिष्ट परिस्थितियों के बारे में अधिक जानकारी अधिकारियों द्वारा समय के साथ जारी की जाएगी।

मौसम

पश्चिमी विक्षोभ से दिल्ली में बारिश और ठंड



पश्चिमी विक्षोभ के आगमन से दिल्ली में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस मौसम प्रणाली से 29 अक्टूबर को बारिश की संभावना है, जो मानसून के बाद आई शुष्क अवधि के बाद एक बदलाव होगा। विक्षोभ के कारण तापमान में भी गिरावट आएगी, न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है।

ठहराने वाला प्रावधान अभी तक लागू नहीं हुआ है, जैसा कि कानून और न्याय मंत्रालय के बयान से पता चलता है। इस देरी के कारण, दुर्घटना स्थल छोड़ने वाले अपराधियों को अभी भी पुराने

स्थानीय

पटेल नगर में लंबा जाम, वाहन रेंगते दिखे



दिल्ली के एक व्यस्त आवासीय और व्यावसायिक केंद्र पटेल नगर में एक बड़ा ट्रैफिक जाम हो गया है। वाहन सड़कों पर धीमी गति से जा रहे हैं, और यात्रियों को लंबी देरी हो रही है। भीड़ का कारण अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन यह यातायात घनत्व और सड़क बंदियों जैसे कारकों के संयोजन के कारण होने की संभावना है। यह जाम क्षेत्र में निवासियों और व्यवसायों को काफी असुविधा दे रहा है।

शिक्षा

जामिया प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को दिया अंतिम नोटिस



जामिया मिल्लिया इस्लामिया प्रशासन ने उत्तर कैंपस में छात्र प्रदर्शन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। प्रशासन ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को तुरंत कैंपस खाली करने का अंतिम नोटिस जारी किया है और चेतावनी दी है कि अगर छात्र इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में प्रदर्शन के कारण और छात्रों की मांगों का उल्लेख नहीं किया गया है।

राजनीति

प्रधानमंत्री के खिलाफ जमिया मिलिया इस्लामिया में विरोध प्रदर्शन



दिल्ली के जमिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में मंगलवार को छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में छात्रों ने प्रधानमंत्री और उनकी नीतियों के खिलाफ नारे लगाए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी तक प्रदर्शन के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

राजनीति

दिल्ली की अदालतें बंद: वकीलों का पुलिस विरोध



27 अक्टूबर 2026 को दिल्ली में सभी जिला अदालतें बंद रहेंगी क्योंकि वकील दिल्ली पुलिस के खिलाफ एक दिन की हड़ताल कर रहे हैं। इस हड़ताल के कारण पूरे दिन अदालती कामकाज ठप रहेगा। वकीलों का विरोध दिल्ली पुलिस के खिलाफ है, हालाँकि इन शिकायतों का अभी तक खुले तौर पर खुलासा नहीं किया गया है। यह हड़ताल शहर भर में चल रहे कानूनी मामलों को काफी प्रभावित करने की उम्मीद है।

भारतीय दंड संहिता के तहत दण्डित किया जाता है, जिसमें विशिष्ट हिट-एंड-रन धारा नहीं है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस अंतराल से ऐसे मामलों में दण्ड की गति और गंभीरता पर

स्थानीय

दिल्ली का पुराना आरटीआर फ्लाईओवर हल्के वाहनों के लिए फिर से खुला



वसंत विहार से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों को राहत मिली है। मरम्मत के बाद दिल्ली का पुराना आरटीआर फ्लाईओवर अब हल्के वाहनों के लिए खुला है। अक्टूबर २० से बंद रहे इस फ्लाईओवर को सोमवार शाम को फिर से खोला गया। इस फ्लाईओवर के बंद होने से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही थी। हालांकि, भारी वाहनों पर अभी भी फ्लाईओवर पर प्रवेश प्रतिबंधित है।

राजनीति

मल्लिकार्जुन खरगे के बयान का विरोध भाजपा नेताओं ने किया



भाजपा नेताओं ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे के बयान के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में खरगे के बयानों के विरोध में अपनी नाराजगी व्यक्त करने का उद्देश्य था, हालाँकि शुरुआती रिपोर्टों में उनके बयानों की विशिष्ट सामग्री का विवरण नहीं दिया गया था। यह प्रदर्शन भारत में भाजपा और कांग्रेस पार्टी के बीच जारी राजनीतिक तनाव को उजागर करता है।

